

कार्यालय-बासौदा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, गंजबासौदा

नामांकन पत्र

डी.ए.-1

बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 45Z - A सहपठित धारा-56 तथा सहकारी अधिकोष (नामांकन)
नियम 1985 के नियम-2 (1) के अन्तर्गत बैंक में जमा अमानत के लिए नामांकन ।

मैं / हम

पता

निम्न व्यक्ति को नामांकित करता हूँ / करते हैं । जिसे मेरी / हमारी / अवयस्क की मृत्यु होने पर अमानत की रकम, जिसका विवरण नीचे दिया
गया है बासौदा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा वापिस की जावे ।

अमानतदार					नामांकित		
प्रकार	खाता/रसीद क्रमांक	अन्य विवरण यदि कोई हो तो	नाम	पता	अमानतदार से संबंध यदि कोई हो	उम्र	यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क हो तो उसकी जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

(2) आज तारीख को नामांकित सदस्य अवयस्क है, अतः मैं श्री / श्रीमती / कुमारी
..... पता उम्र को नामांकित की
अवधि में मेरी / हमारी मृत्यु हो जाने की दशा में अवयस्क की ओर से अमानत की राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त (अधिकृत) करता हूँ / करते हैं ।
स्थान
दिनांक
गवाह -

हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा
अमानतदार

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

- अमानत अवयस्क के नाम होने पर, अवयस्क की ओर से वैधानिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किये जावेंगे ।
- निशानी अंगूठा दो साधियों द्वारा प्रमाणित किया जावेगा ।